[2023] 2 एस. सी. आर. 737

/

जी. पी. एस. के. कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मंत्री वित्त लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

बनाम

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सिविल अपील सं.2402 2008)

/

20 मार्च, 2023

[अजय रस्तोगी और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992:धारा 15 (जेड)-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और उप ब्रोकर) विनियम, 1992-एस. एच. III, पैरा 4-शुल्क निरंतरता लाभ-व्यक्तिगत सदस्यता को एक निगमित इकाई में परिवर्तित करने की पात्रता-तथ्यों पर, स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकृत कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज-सी. एस. ई. के एक सदस्य ने अपीलकर्ता कंपनी के पक्ष में सी. एस. ई. की अपनी सदस्यता स्थानांतरित कर दी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज-एन. एस. ई. की सदस्य थी-अपीलकर्ता कंपनी तब सी. एस. ई. की सदस्य बनी और सी. एस. ई. के स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकृत थी-अपीलकर्ता कंपनी ने उस अवधि के लिए पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट का दावा किया जिसके लिए पूर्व सदस्य पहले ही शुल्क का भुगतान कर चुका है और यह कि एस. एच. के पैरा 4 के अंतर्गत निर्धारित शर्तें। III विनियमों को संतुष्ट किया गया-बोर्ड ने दावे को खारिज कर दिया-अपील में, न्यायाधिकरण ने कहा कि बोर्ड के साथ एकल पंजीकरण पर्याप्त है, भले ही स्टॉक ब्रोकर की कई स्टॉक एक्सचेंजों से कई सदस्यताएं और कार्य हों, इस प्रकार बोर्ड के साथ प्रारंभिक पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा और यह कि कंपनी अनुसूची III के खंड (4) की शर्तों को पूरा करने में विफल रही और उस अवधि के लिए शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए पात्र नहीं थी जिसके लिए पूर्ववर्ती व्यक्ति ने शुल्क का भुगतान किया था-अपील पर कहा गयाःजब पूर्व सदस्य ने सी. एस. ई. का अपना सदस्यता कार्ड अपीलकर्ता कंपनी को हस्तांतरित किया, तो वह पूर्णकालिक निदेशक नहीं थे, बल्कि केवल एक निदेशक थे-जिस तारीख को उन्होंने अपीलकर्ता कंपनी में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी, वह स्पष्ट नहीं है-कहीं भी दिए गए विवरण पूर्व सदस्य को किसी भी प्रासंगिक वर्ष के लिए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में इंगित नहीं करते हैं-इस प्रकार, अपीलकर्ता कंपनी एस. एच. के पैरा 4 के अंतर्गत शर्तों को पूरा करने में विफल रही। III और शुल्क निरंतरता लाभों का दावा करने का हकदार नहीं है।

/

/

/

/

/

/

737

738 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

/

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज सदस्य संघ और एक अन्य

2022 एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 1392-**संदर्भित।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2008 की सिविल अपील सं. 2402।

/

2007 के अपील सं. 76 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के दिनांकित निर्णय और आदेश से।

सह

2007 की सिविल अपील सं. 5636।

/

चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, भार्गव वी. देसाई, राहुल गुप्ता, सुश्री विधुशी शांडिल्य, सुश्री.

बिद्या मोहंती, अमजिद, जुबिन एम. जॉन, सुश्री पल्लवी मौर्य, सुश्री देवीना भंडारी, अमित अन्नाप्पा पाई, रमेश बाबू एम. आर., आशीष भक्त, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी**,** जे।

सिविल अपील सं.2402 2008 का

1. तत्काल अपील भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 (जेड) के अंतर्गत दायर की गई है (जिसे इसके बाद "अधिनियम 1992" के रूप में संदर्भित

किया जा रहा है) जिसमें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 9 अगस्त, 2007 को पारित निर्णय और आदेश (जिसे इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई (जिसे इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) के 7 मई, 2007 के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि अपीलकर्ता ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) विनियम, 1992 (जिसे इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) की अनुसूची III के खंड (4) की शर्तों को पूरा नहीं किया है।

/

/

/

2. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एक श्रीकांत मंत्री कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य बने (जिसे इसके बाद "सी. एस. ई". के रूप में संदर्भित किया गया) और उन्हें 30 नवंबर, 1992 को स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकरण दिया गया। वर्ष 1997 में किसी समय उन्होंने ए करने का फैसला किया।

/

739

जीपीएसके कैपिटल पी. वी. टी. लिमिटेड (पूर्व में मंत्री फिन के रूप में जाना जाता है।) बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

मंत्री फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में सी. एस. ई. का अपना सदस्यता कार्ड हस्तांतरित करें-इसमें अपीलार्थी (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है)।यह विवाद में नहीं है कि कंपनी को 27 दिसंबर, 1998 को कंपनी पंजीयक, कलकत्ता में उषाग्राम प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस लिमिटेड के नाम और शैली के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। बाद में, इसने 13 नवंबर, 1992 को अपना नाम बदलकर मंत्री फाइनेंस लिमिटेड कर लिया।कंपनी ने 1995 में स्टॉक ब्रोकिंग का व्यवसाय शुरू किया था और एन. एस. ई. का सदस्य बना और उसके बाद एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में बोर्ड में पंजीकरण की मांग की और 17 अक्टूबर, 1995 को स्टॉक ब्रोकर के रूप में एन. एस. ई. की सदस्यता प्राप्त की।इसके बाद, जब श्रीकांत मंत्री का सदस्यता कार्ड कंपनी के नाम से स्थानांतरित किया गया, तो बाद वाला सी. एस. ई. का सदस्य बन गया और 1 अप्रैल, 1998 को सी. एस. ई. के स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकृत हो गया।

/

/

3. श्रीकांत मंत्री से कार्ड के हस्तांतरण पर सी. एस. ई. की सदस्यता प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता कंपनी ने दावा किया कि उसे उस अवधि के लिए पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए जिसके लिए श्रीकांत मंत्री पहले ही शुल्क का भुगतान कर चुके हैं।दूसरे शब्दों में, इसने श्रीकांत मंत्री द्वारा पहले से ही भुगतान किए गए शुल्क की छूट के लाभ का दावा किया।साथ ही, यह भी दावा किया कि विनियमों की अनुसूची III के पैरा 4 के अंतर्गत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया गया था और इसलिए, वह छूट का दावा करने का हकदार था।

/

4. कंपनी के दावे को बोर्ड द्वारा 7 मई, 2007 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि श्रीकांत मंत्री अपनी सदस्यता के हस्तांतरण के बाद तीन साल की अवधि के दौरान कंपनी में केवल एक निदेशक थे और चूंकि वे पूर्णकालिक निदेशक नहीं थे, इसलिए अनुसूची III के पैरा 4 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है और तदनुसार, अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध के अनुसार छूट का दावा करने का हकदार नहीं था।5. अपीलार्थी कंपनी ने निम्नलिखित दो मुद्दों पर न्यायाधिकरण के समक्ष 7 मई, 2007 के बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील दायर कीः- (i) क्या स्टॉक ब्रोकर को एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज (ओं) पर काम करने के लिए कई पंजीकरण की आवश्यकता होती है या सभी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए एक ही पंजीकरण पर्याप्त होगा।

/

/

/

((ii) क्या अपीलकर्ता कंपनी अनुसूची III के पैरा 4 के अंतर्गत प्रदान किए गए शुल्क निरंतरता लाभों की हकदार है।

6. निर्गम संख्या (i) के संबंध में, विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि बोर्ड के साथ एकल पंजीकरण पर्याप्त है, भले ही स्टॉक ब्रोकर की कई स्टॉक एक्सचेंजों से कई सदस्यताएँ और कार्य हों।

/

और इसलिए, बोर्ड के साथ प्रारंभिक पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा और आक्षेपित आदेश को अलग रखना होगा और 17 अक्टूबर, 1995 से अपने पंजीकरण के

आधार पर कंपनी द्वारा देय पंजीकरण शुल्क की नई गणना के लिए बोर्ड को मामला प्रेषित करना होगा।

7. जहां तक निर्गम संख्या (ii) का संबंध है, विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता कंपनी विनियमों की अनुसूची III के खंड (4) की शर्तों को पूरा करने में विफल रही है और उस अवधि के लिए शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए पात्र नहीं है जिसके लिए पूर्ववर्ती व्यक्ति श्रीकांत मंत्री ने शुल्क का भुगतान किया है।

/

8. इसलिए, अपीलकर्ता कंपनी के साथ-साथ बोर्ड द्वारा 9 अगस्त, 2007 के न्यायाधिकरण के स्वयं के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ अपील की गई है।

/

9. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का मुख्य जोर यह है कि श्रीकांत मंत्री, पहली बार में, मेसर्स गोविंद प्रसाद श्रीकांत एंड कंपनी के एकमात्र मालिक थे, जो 30 जनवरी, 1992 से बोर्ड में पंजीकृत था।अनुसूची III के पैरा 4 अंतर्गत यह सदस्यता को एक निगमित इकाई में बदलने और पुरानी इकाई, यानी मैसर्स गोविंद प्रसाद श्रीकांत एंड कंपनी की सदस्यता के लिए लागू होता है। (एस. ई. बी. आई. पंजीकरण सं. आई. एन. बी. 030054715) को 1 अप्रैल, 1998 से एक निगमित इकाई में परिवर्तित किया गया था। तदनुसार, अपीलार्थी विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची III के पैरा 4 में दर्शाई गई पूर्व शर्तों को पूरा करता है और यह स्पष्ट त्रुटि है जो बोर्ड द्वारा पहली बार में की गई है और न्यायाधिकरण द्वारा भी तथ्यात्मक मैट्रिक्स की सराहना नहीं की गई है।

/

/

10. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि पैरा 4 को व्यक्तिगत स्टॉक ब्रोकरों को निगमित करने और स्टॉक ब्रोकिंग गतिविधि को संस्थागत बनाने के लिए बोर्ड की नीति के अनुसार अनुसूची III में जोड़ा गया था और आगे प्रस्तुत करता है कि व्याख्या उस नीति के इरादे और उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए जिसमें पैरा 4 को अनुसूची III में जोड़ा गया था। 11.विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि रूपांतरण के मामले में, व्यक्तिगत पंजीकरण को एक निगमित पंजीकरण में परिवर्तित कर दिया गया है और इसलिए, शुल्क के भुगतान के लिए छूट उपलब्ध है और आगे प्रस्तुत करता है कि अनुसूची III के पैरा 4 में दो पंजीकरणों पर विचार नहीं किया गया है।पैरा 4 का स्पष्टीकरण, एक काल्पनिक कल्पना द्वारा, पूर्ववर्ती सदस्यता से परिवर्तित सदस्यता तक शुल्क के भुगतान की निरंतरता को अनिवार्य करता है और आगे प्रस्तुत करता है कि विधि , इसलिए, ए

/

/

/

741

जीपीएसके कैपिटल पी. वी. टी. लिमिटेड (पूर्व में मंत्री फिन के रूप में जाना जाता है।) बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

यह अनिवार्य है कि रूपांतरण के मामले में, परिवर्तित निगमित इकाई से कोई नया शुल्क नहीं लिया जाएगा।तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।12. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील, बोर्ड द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए और न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि जो सामग्री रिकॉर्ड पर आई है, उसे बोर्ड के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा दो चरणों में सराहा गया है।यह निर्विवाद है कि श्रीकांत मंत्री ने सी. एस. ई. के अपने सदस्यता कार्ड को अपीलकर्ता कंपनी को हस्तांतरित कर दिया और वह उसमें पूर्णकालिक निदेशक नहीं थे, बल्कि केवल एक निदेशक थे और निगमित संस्था पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करने का हकदार है यदि व्यक्ति या साझेदारी सदस्यता को निगमित इकाई में परिवर्तित कर दिया गया था।हालाँकि, तत्काल मामले में, श्रीकांत मंत्री ने खुद को एक कॉर्पोरेट इकाई में परिवर्तित नहीं किया, इसके बजाय सी. एस. ई. के अपने सदस्यता कार्ड को एक मौजूदा कंपनी में स्थानांतरित कर दिया और उसमें निदेशक बन गए।

/

/

13. तदनुसार, बोर्ड द्वारा यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है और न्यायाधिकरण द्वारा आक्षेपित आदेश में पुष्टि की गई है कि अपीलार्थी विनियमों की अनुसूची III के पैरा 4 को लागू करते हुए छूट का दावा करने का हकदार नहीं था और अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष खंडन में भी रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं रखा गया है।दी गई परिस्थितियों में, अपीलकर्ता कंपनी के कहने पर दायर अपील में तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को बाधित करने का कोई कारण या औचित्य प्रतीत नहीं होता है।14. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

/

/

15. जहां तक निर्गम संख्या (i) स्टॉक ब्रोकर के संदर्भ में, जिसके लिए एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज (ओं) पर काम करने के लिए कई पंजीकरण की आवश्यकता होती है या सभी स्टॉक

एक्सचेंजों के लिए एक ही पंजीकरण पर्याप्त होगा, यह इस न्यायालय द्वारा प्रतिभूतियों में निर्णय लिया गया है और

/

भारतीय विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य

एसोसिएशन और अन्य **1** और इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए अब एकीकृत नहीं है जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

/

“47. इस प्रकार, हमारे सुविचारित विचार में, नियम, 1992 और विनियम, 1992 की योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 12 (1) में निर्दिष्ट "एक प्रमाणपत्र" अभिव्यक्ति के संयुक्त पठन से एक अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि स्टॉक ब्रोकर न केवल

1 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1392

/

742

/

[2023] 2 एस सी आर।

प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज के लिए जहां वह काम करता है, उसे 28 मार्च, 2002 के परिपत्र के अंतर्गत निर्धारित गणना के संदर्भ में SEBI से पंजीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र के संदर्भ में विनियम, 1992 के विनियमन 10 में संलग्न भाग III के संदर्भ में निर्धारित विज्ञापन मूल्य शुल्क का भुगतान करना होगा और शुल्क का भुगतान स्टॉक ब्रोकर द्वारा एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में किया जाना है जो विनियम 1992 की योजना के अनुरूप है। "

/

16. तत्काल अपील में शामिल मुद्दा इस बात तक सीमित है कि क्या अपीलकर्ता कंपनी विनियम 1992 की अनुसूची III के पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क निरंतरता लाभों की हकदार है।

/

17. उक्त मुद्दा संख्या (ii) की जांच करने के लिए, पहले विनियम, 1992 की अनुसूची III के पैरा 4 पर ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार है:-

“जहां किसी निगमित निकाय का गठन एक्सचेंज के ऐसे व्यक्ति या साझेदारी सदस्यता कार्ड को परिवर्तित करके किया गया है, ऐसी निगमित इकाई को उस अवधि के लिए शुल्क के भुगतान से

छूट दी जाएगी, जिसके लिए पूर्ववर्ती व्यक्ति या साझेदारी सदस्य, जैसा भी मामला हो, पहले ही शुल्क का भुगतान कर चुका है, बशर्ते कि पूर्ववर्ती व्यक्ति या भागीदार इस तरह से परिवर्तित निगमित सदस्य का पूर्णकालिक निदेशक होगा और ऐसा निदेशक ऐसे परिवर्तन की तारीख से कम से कम तीन साल के व्यक्ति के लिए निगमित इकाई की चुकता इक्विटी पूंजी के न्यूनतम 40 प्रतिशत शेयर रखता रहेगा।

/

/

स्पष्टीकरण-यह स्पष्ट किया जाता है कि एक्सचेंज के व्यक्तिगत या साझेदारी सदस्यता कार्ड का निगमित इकाई में रूपांतरण पुरानी इकाई की निरंतरता में माना जाएगा और उस अवधि के लिए परिवर्तित इकाई से फिर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जिसके लिए पूर्ववर्ती इकाई ने नियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान किया है। "

/

18. बोर्ड ने पहली बार 7 मई, 2007 के अपने आदेश के अंतर्गत रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद और विनियम, 1992 की अनुसूची III के पैरा 4 को ध्यान में रखते हुए अपना निष्कर्ष निम्नलिखित रूप में वापस कर दिया:-

/

“ 3.11 शुल्क के भुगतान से छूट कॉर्पोरेट इकाई को लाभ प्रदान करती है।इस तरह का लाभ देने के लिए, जिन शर्तों के अधीन ऐसा लाभ उपलब्ध है, उन्हें 'क' से परे स्थापित करने की आवश्यकता है।

/

743

जीपीएसके कैपिटल पी. वी. टी. लिमिटेड (पूर्व में मंत्री फिन के रूप में जाना जाता है।) बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

सन्देह हो रहा है।एम. एफ. एल. द्वारा प्रदान की गई प्रासंगिक अवधि के लिए वार्षिक विवरणी की वास्तविक प्रति से यह प्रतीत होता है कि श्री श्रीकांत मंत्री एक निदेशक थे, लेकिन संबंधित अवधि के दौरान पूर्णकालिक निदेशक नहीं थे।यह तथ्य 28 अप्रैल, 1997 और 19 मई, 1999 की एजीएम तिथियों के संबंध में आरओसी के कार्यालय से प्राप्त प्रति से भी स्थापित किया गया है।एम. एफ. एल. को 21 जनवरी, 1998 की अधिसूचना जारी होने के बाद पंजीकरण दिया गया था, यानी उन शर्तों के बाद जिनके अधीन किसी परिवर्तित निगमित संस्था को छूट दी जा सकती है।उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एम. एफ. एल. ने विनियमों की अनुसूची III के खंड I (4) की कम से कम एक शर्त को पूरा नहीं किया।इसलिए, एम. एफ. एल. उस अवधि

के लिए शुल्क के भुगतान से छूट के लिए पात्र नहीं हो सकता है जिसके लिए पूर्ववर्ती व्यक्ति श्री श्रीकांत मंत्री पहले ही शुल्क का भुगतान कर चुके हैं। "

/

/

19. अपीलार्थी कंपनी द्वारा अपील किए जाने पर, बोर्ड ने अभिलेख पर साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने पर 9 अगस्त, 2007 के अपने आदेश के अंतर्गत निम्नआक्षेपित निष्कर्ष की पुष्टि कीः-

/

"....बोर्ड ने दलालों को खुद को निगमित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति अपनाई ताकि उनका काम अधिक पारदर्शी हो क्योंकि कॉर्पोरेट संस्थाओं के पास व्यक्तियों और साझेदारी की तुलना में अधिक और बेहतर नियामक नियंत्रण हों।इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 21.1.1998 से प्रभावी विनियमों के लिए अनुसूची III में पैराग्राफ 4 पेश किया और इसने एक कॉर्पोरेट इकाई बनने से पहले व्यक्ति या साझेदारी द्वारा पहले से ही भुगतान किए गए शुल्क का लाभ देने का निर्णय लिया।हमारे समक्ष मामले में बोर्ड ने पाया है कि जब श्रीकांत मंत्री ने सी. एस. ई. का अपना सदस्यता कार्ड कंपनी को हस्तांतरित किया, तो वह उसमें पूर्णकालिक निदेशक नहीं थे, बल्कि केवल एक निदेशक थे।हमारे समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य पर विवाद किया जा रहा है।हमारे लिए इस संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारा विचार है कि कंपनी अनुसूची के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत लाभ की हकदार नहीं है क्योंकि इसमें कोई निरंतरता नहीं है।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, निगमित निकाय केवल तभी पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करने का हकदार नहीं है जब व्यक्ति या साझेदारी को निगमित निकाय में परिवर्तित किया गया हो।तत्काल मामले में, श्रीकांत मंत्री ने खुद को एक कॉर्पोरेट इकाई में परिवर्तित नहीं किया, बल्कि सी. एस. ई. के अपने सदस्यता कार्ड को एक मौजूदा कंपनी में स्थानांतरित कर दिया और उसमें निदेशक बन गए। विनियमों में ऐसे मामलों में छूट का प्रावधान नहीं है।हमसे पहले कंपनी एक थी

/

/

/

/

मौजूदा कंपनी और इसलिए, जब यह श्रीकांत मंत्री से सदस्यता कार्ड में हस्तांतरण पर सी. एस. ई. का सदस्य बना, तो यह पैराग्राफ 4 के अंतर्गत लाभ का दावा नहीं कर सकता था।यह केवल तभी इस तरह के लाभ का दावा कर सकता था जब श्रीकांत मंत्री ने खुद को एक कंपनी में स्थापित किया था और अपना ब्रोकिंग व्यवसाय जारी रखा था।चूंकि ऐसा नहीं था, इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि कंपनी पैराग्राफ 4 के लाभ का दावा नहीं कर सकती। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमें अपीलार्थी के दावे को खारिज करते हुए बोर्ड द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने में कोई संकोच नहीं है। "

/

20. यह निर्विवाद है कि जब श्रीकांत मंत्री ने सी. एस. ई. का अपना सदस्यता कार्ड कंपनी को हस्तांतरित किया, तो वे पूर्णकालिक निदेशक नहीं थे, बल्कि केवल एक निदेशक थे।न तो सी. एस. ई. और न ही इसके आंतरिक लेखा परीक्षकों को यह पता था कि श्रीकांत मंत्री ने किस तारीख को अपीलकर्ता कंपनी में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी।साथ ही, बोर्ड द्वारा सी. एस. ई. को 18 मार्च, 1998 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि श्रीकांत मंत्री के पास निगमित इकाई की चुकता पूंजी का 40 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है।न्यायाधिकरण द्वारा यह भी दर्ज किया गया कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई वार्षिक विवरणियों की सही प्रतियों से यह पता चला है कि उनके द्वारा प्रदान किए गए निदेशकों का विवरण कहीं भी श्रीकांत मंत्री को किसी भी प्रासंगिक वर्ष के लिए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में इंगित नहीं करता है। श्रीकांत मंत्री के पदनाम को सभी संबंधित वर्षों के वार्षिक रिटर्न में "निदेशक" के रूप में इंगित किया गया है।यह 28 अप्रैल, 1997 और 19 मई, 1999 की एजीएम के संबंध में आरओसी के कार्यालय से प्राप्त प्रति से भी स्थापित किया गया था।

/

/

/

21. उसी समय, अपीलार्थी कंपनी को 21 जनवरी, 1998 की अधिसूचना द्वारा पैरा 4 लागू किए जाने के बाद पंजीकरण प्रदान किया गया था और अपीलार्थी कंपनी यह संतुष्ट करने में विफल रही कि उसने अनुसूची III के पैरा 4 की शर्तों को पूरा किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने शुल्क निरंतरता लाभों की अपनी पात्रता का दावा किया है।

/

22. अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता कंपनी उन शर्तों को पूरा करने में विफल रही जैसा कि विनियमों के साथ जोड़ी गई अनुसूची III के पैरा 4 के अंतर्गत संदर्भित है, जिसका संदर्भ दिया गया है।

/

23. नतीजतन, अपील बिना किसी आधार के है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

24. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

/

745

GPSK कैपिटल PVT। लिमिटेड (पूर्व में मंत्री फिन के रूप में जाना जाता है।) बनाम भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [अजय रस्तोगी, जे.]

/

2007 की सिविल अपील सं**. 5636**

25. बोर्ड द्वारा 2008 की सिविल अपील संख्या 2402 में 9 अगस्त, 2007 के स्वयं के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ यह अपील की जाती है।इसलिए, तत्काल अपील के उद्देश्य से तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

/

26. बोर्ड द्वारा दायर की गई अपील सफल होने की हकदार है क्योंकि इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए प्रश्न अब एकीकृत नहीं है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज सदस्य संघ और एक अन्य **(**ऊपर**)**।

27. नतीजतन, अपील सफल हो जाती है और इसकी अनुज्ञात जाती है।28. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

/

निधि जैन

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

/

/

/

/

/